न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 41/2018/राजस्व वाद

उनवान

1. मोतीलाल पि. बरदा जाति भील नि. करमाखेडी तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. नानीबाई बेवा बाला जाति भील नि.सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी
2. नन्दराम पि. बाला जाति भील नि.सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी
3. मांगीबाई पुत्री बाला जाति भील नि.सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी
4. प्रेमबाई पुत्री बाला जाति भील नि.सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी
5. राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 91 , 92 ए , 88 , 89 , 63 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री मसूद अहमद खान

निर्णय   दिनांक : 8-7-2022

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम करमाखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 127 आराजी ख.नं. 239 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता सं. 126 की आराजी किता 3 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 91 , 92 ए , 88 , 89 , 63 , 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का नाम 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वास्तविक व वस्तु स्थिति यह है कि वादी के छोटे भाई बाला को टीबी की गंभीर बीमारी होने से प्रतिवादी सं. 1 अपने तीनो नाबालिग बच्चो को लेकर चली गई और फिर वापिस लौट कर नहीं आई। वादी ने अपने छोटे भाई की काफी सेवा की जिससे छोटे भाई बाला के स्वास्थ्य में [illegible] लगा। उसने दौराने ईलाज वादी की सेवा एवं तीमारदारी से प्रसन्न होकर [illegible] आराजी में से उसके [illegible] 2 हिस्सा व मकान दिनांक 26.05.1987 को 7 रूप्ये के दस्तावेजी स्टाम्प पर गवाहान के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.22 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

वसियतनामा निष्पादित करवाया। दुर्भाग्य से सन 1988 में छोटे भाई बाला का स्वर्गवास हो गया। बाला की मृत्यु के बाद वसीयतनामे अनुसार वादी उसके हिस्से का खातेदार कृषक हो गया। प्रतिवादीगण का पिछले 33 सालो से भी अधिक समय आराजियात से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है इसलिये वादग्रस्त आराजियात के रिकार्ड में उनके नामों का अंकन अर्थहीन हो गये है एवं कानूनी अधिकार विलोपित हो गये है। वाद कारण सोमवार को उत्पन्न हुआ जब वादी ने हल्का पटवारी से वसीयतनामें अनुसार दोनो खातो में वादी की तन्हा खातेदारी दर्ज करने की कही।

अतः वाद वादी स्वीकार कर ग्राम करमाखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 127 आराजी ख.नं. 239 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता सं. 126 की आराजी किता 3 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि का वादी को तन्हा खातेदार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के नाम का अंकन रदद किया जाकर रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। वाद पत्र के साथ ग्राम करमाखेडी की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 127 , 126 की नकल एवं वसीयतनामा दिनांक 26.05.1987 की छायाप्रति पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया परन्तु सम्मन अदम तामिल वापिस लौट कर आ गये। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण के सम्मन समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादी द्वारा वसीयतनामा दिनांक 26.05.1987 की असल प्रति व समाचार पत्र की प्रति प्रस्तुत कर साक्ष्यवादी में मोतीलाल , गोविन्द , दुर्गालाल के शपथ पत्र/बयानात पेश किये। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई जिसमें मुताबिक वसीयत वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड , वसीयतनामा दिनांक 26.05.1987 , साक्ष्यवादी गवाहान के बयानात का अवलोकन किया गया व विद्वान वकील वादी द्वारा की गई बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत ... कि ग्राम करमाखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 127 आराजी ख.नं. 239 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता सं. 126 की आराजी किता 3 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.22 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी की भूमि है। वादी के छोटे भाई बाला को टीबी की गंभीर बीमारी होने से प्रतिवादी सं. 1 अपने तीनो नाबालिग बच्चो को लेकर चली गई और फिर वापिस लौट कर नहीं आई। वादी द्वारा की गई सेवा एवं तीमारदारी से प्रसन्न होकर बाला ने वादग्रस्त आराजी में से अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 26.05.1987 को 7 रूप्ये के दस्तावेजी स्टाम्प पर गवाहान के समक्ष वादी के पक्ष में वसीयत किया। गवाहान के बयानात अनुसार वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण का लगभग 35 वर्षो से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद स्वीकार कर ग्राम करमाखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072—75 के खाता सं. 127 आराजी ख.नं. 239 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता सं. 126 की आराजी किता 3· रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि का वादी को तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना — अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.22 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 41/2018/राजस्व वाद

उनवान

1. मोतीलाल पि. बरदा जाति भील नि. करमाखेडी तहसील सुनेल

– वादी

बनाम

1. नानीबाई बेवा बाला जाति भील नि.सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी
2. नन्दराम पि. बाला जाति भील नि.सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी
3. मांगीबाई पुत्री बाला जाति भील नि.सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी
4. प्रेमबाई पुत्री बाला जाति भील नि.सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी
5. राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 91 , 92 ए , 88 , 89 , 63 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री मसूद अहमद खान

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद स्वीकार कर ग्राम करमाखेडी तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 127 आराजी ख.नं. 239 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता सं. 126 की आराजी किता 3 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि का वादी को तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 6.7.2022 को जारी की गई।

(सन्तोष कुमार मीना)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

जिला झालावाड़ (राज.)

[illegible]	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहान			फीस [illegible]		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.07.22 16:09:38 IST
Reason: SelfAttested